कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
जिला – सक्ती (छ.ग.)

E-Mail : deo-sakti.cg@gov.in

–ःविज्ञापनः–

क./1103/स्था./वि.स.नि./2023–24 सक्ती, दिनांक 15/09/2023

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21 सितम्बर 2023 के संध्या 05.00 बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से

छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग के पत्र कमांक 12/स्था./07/2011/2023/1706 रायपुर, दिनांक 19/05/2023 एवं कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ का पत्र कमांक/27/स्था./2023/1725 रायपुर दिनांक 23.05.2023 द्वारा कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–सक्ती के कार्यालय में जिला स्तरीय पद संरचना में स्वीकृत पद सहायक प्रोग्रामर, सहायक ग्रेड–03 एवं भृत्य के रिक्त पदों पर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय के पते (कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–सक्ती) पर दिनांक 21 सितम्बर 2023 के संध्या 05.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जायेगाः–

रिक्तियों की संख्या पदनाम सहित प्रवर्गवार निम्नानुसार हैः–

स.क्र.	विषय का नाम	कुल पद श्रेणीवार					कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या				कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से विकलांग के लिए पदों की संख्या				कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों की संख्या				कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से मुक्त वर्ग के लिए पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	Total	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	सहायक प्रोग्रामर	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	सहायक ग्रेड–03	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3	भृत्य	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
योग–		3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0

(सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक सी/3–5–99/3/एक दिनांक 24 फरवरी 2000 के निर्देशानुसार सीधी भर्ती के एकाकी पदों पर आरक्षण एवं आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा। एकाकी पद वह होगा जो किसी संवर्ग विशेष में एक पद स्वीकृत है।)

टीपः–

1. आवश्यकतानुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी।
2. छत्तीसगढ़ जिले के मूल निवासी ही मान्य होंगे। जिले के निवासियों को प्राथमिकता।
3. चयन हेतु अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति का होगा।

2. भर्ती की पात्रता एवं शर्तेः–

<u>सहायक प्रोग्रामर पद के लिए</u>

वेतनमान – 9300–4300–34800 (लेवल 09)

शैक्षणिक योग्यताः–

क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान या संबंधित विषय में बी0टेक/बी0ई0/एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 (C.S.)/ (I.T.)/ की उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी (ग्रेड)।

अथवा

ख) कप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी (ग्रेड पेय) के साथ संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष का कार्य अनुभव।

सहायक ग्रेड–तीन पद के लिए

वेतनमानः–5200–1900–20200 (लेवल 04)

शैक्षणिक योग्यताः–

(क) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्व विद्यालय से (10+2) पद्धति के अंतर्गत हायर सेकेण्डरी परीक्षा अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन, डाटा एन्ट्री/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा डाटा एन्ट्री में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होना चाहिए। (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)

टीपः– द्विभाषी शीघ्रलेखन (अंग्रेजी/हिन्दी) वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।

भृत्य पद के लिए

वेतनमान :– 4750–1300–7440 (लेवल 01)

शैक्षणिक योग्यताः– शासन अथवा शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से आठवी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण हो।

टीपः– यदि आवेदक विज्ञाप्ति पदों में एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो उसके प्रत्येक पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन निर्धारित प्रारूप में पेश करना होगा तथा एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जावेगा।

महत्वपूर्ण :– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी के आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तो को पूरा कर सकते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्हता मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर आवेदक अनर्हता पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी।

3. **आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्ते :–**

(1) आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। (कार्यरत शासकीय सेवकों को नियमानुसार छूट की पात्रता होगी) अभ्यर्थी रोजगार कार्यालय जीवित पंजीयन कमांक व दिनांक का उल्लेख करते हुए, रोजगार कार्यालय के पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

(अ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(ब) कोई भी पुरूष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित है और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि शासन को इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(स) उम्मीदवार दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करी हो, परन्तु 35 वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों का अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष अधिक न हो।

(द) अन्य विशेष वर्गो के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु सभी छूट मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ई) आवेदक किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

4\. **उच्चतर आयु सीमा में छूट** :—निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :—

4(एक) (1)—यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक छूट दी जावेगी।

4(एक) (2)—छत्तीसगढ़ के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

4(एक) (3)—ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :— छटनी किए शासकीय सेवक से तात्पर्य है, जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 06 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में निवेदन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी में किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

4(एक) (4)—ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4(एक) (5)—महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि उस वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

4(एक) (6)—शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 06 माह से अधिक सेवा की अवधि 01 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी। जिन वर्गो को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

4(एक) (7)—विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा, महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

4(एक) (8)—स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी अधिकतम आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4(एक) (9)— संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।

4(एक) (10)– शारीरिक रूप से अक्षम सेवा योग्य (दृष्टिहीन, श्रवणबाधित तथा अस्थिबाधित के उम्मीदवारों) व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

4(दो) (1)– आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ग सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

नोटः–आयु सीमा में छूट हेतु डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

4(दो) (2)– विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं प्रचलित शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधुर, महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष छूट दी जाएगी।

टीपः–

(01) बिन्दु क्रमांक 04 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छुट मिलेगी।

(02) बिन्दू क्रमांक 04 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसके आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी । यह छूट बिन्दू क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी ।

उदाहरण :– यदि कोई आवेदक – अनुसुचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ–साथ विक्रम पुरूस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसुचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 05 वर्ष की छूट के साथ और दी जायेगी । अंर्तजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी ।

(3) उपरोक्त 4 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी ।

नोट :– अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं निर्योग्यता सामान्य प्रशासन विभाग (छ.ग.शासन) द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश अनुसार भी लागू रहेगा ।

5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :–

1. विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में पूर्णतः एवं स्पष्ट भरे हुए बंद लिफाफे में, जिसके उपर आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो, को **कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–सक्ती में दिनांक ....की शाम 5:00 बजे** तक पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जावेगा । किसी अन्य माध्यम तथा कोरियर से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । **दिनांक .... की संध्या 05:00 बजे** के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. आवेदन के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र,(शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर)

दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

टीपः–सहायक ग्रेड–03 के पद हेतु आयोजित परीक्षा में एक अभ्यर्थी के एक से अधिक पदों हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उसे प्रत्येक पद के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा।

6. पात्रताः–

1. आवेदक को छ0ग0 राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
2. छ0ग0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र कमांक–13–4 2006 आ0प्र0 1–3 दिनांक 29.03.2013 के कंडिका 6 (2) के अनुसार आरक्षित पद पर नियुक्ति के उपरांत आवेदक के उपर्युक्त अनुकम में निर्धारित शपथ पत्र प्राप्त किया जावेगा। जिसमें प्रमाण–पत्र गलत अथवा कपटपूर्वक अभिप्राप्त करने बाद प्रमाणित होने की सहमति एवं प्रवृत्ति कानूनों के तहत दण्ड का भागी होने संबंधी आशय निहित होगा।
3. शासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नियोक्ता अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. आयु के संबंध में शैक्षणिक प्रमाण–पत्र अथवा शासकीय कार्यालयों द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लेखित तिथि ही मान्य होगी।
5. जिन आवेदकों को उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में प्राप्तांक प्रतिशत के बजाय CGPA (Grade) प्रदान किया गया है, उनके प्रतिशत ज्ञात करने हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के निर्धारित नियमानुसार गणना की जावेगी।
6. आवेदन करने के पहले विज्ञापन में प्रकाशित आवश्यक एवं वांछित शैक्षणिक अर्हताओं एवं अर्हतों के अनुरूप अपनी अर्हता स्वयं सुनिश्चित कर लेवें कि समस्त शर्तो को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही आवेदक अपना आवेदन करें। कौशल परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्हता मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्हता पाये जाने पर उसका आवेदन बिना सूचना के निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी।
7. चयन उपरान्त यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
8. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटि आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में कोई अलग से सूचना नहीं दी जायेगी।
9. कौशल परीक्षा के समय/चयन पश्चात आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण–पत्र, छ0ग0 निवास प्रमाण–पत्र, आयु संबंधी प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता एवं आवेदक द्वारा दी गई जानकारी संबंधी सुसंगत प्रमाण–पत्र, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. छत्तीसगढ़ राज्य के स्थाई/अस्थाई कर्मचारियों तथा छ0ग0राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी।

7. अपात्रताः–

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 06 के अनुसार नियुक्ति के लिए वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई होः–

1. किसी उम्मीदवार की सेवा या पद तब तक नियुक्ति नहीं किया जावेगा जब तक उसे ऐसे स्वास्थ्य परीक्षा में जो विहित की जाये, मानसिक एवं शारीरिक रूप स्वस्थ और सेवा या पद के लिए कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक व शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जावे।
2. कोई भी उम्मीदवार किसी सेवा पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा यदि ऐसी जांच के बाद, जैसा कि आवश्यकता समझी जाये नियुक्ति प्राधिकारी

का इस बात से समाधान हो जाये कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि उपयुक्त नहीं है।

3. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने पर लंबित रखा जाये।

4. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

8. नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रकिया :–

सहायक प्रोग्रामर के पद के लिये :–

अभिक्षमता परीक्षण :– अभ्यर्थी में आवेदित पद के कार्यो/कर्तव्यों के निवर्हन हेतु आवश्यक अभियोग्यता/अभिक्षमता होनी चाहिए। जिसके मापन हेतु अभिक्षमता परीक्षा ली जायेगी। सहायक प्रोग्रामर पद पर कार्य करने की अभिक्षमता के मापन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र के आधार पर डेढ़ घण्टे की परीक्षा ली जायेगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 50 रहेगा।

चयन प्रकिया सहायक प्रोग्रामर पद हेतुः– अभिक्षमता परीक्षण के अंक (अधिकतम 50) सामान कार्य ग्रेड वेतनमान कार्यानुभव का अंक (प्रति वर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक) साक्षात्कार का अंक (अधिकतम 40) इस प्रकार कुल 100 अंक के आधार पर मेरिट तैयार किया जायेगा तदनुसार नियुक्ति की जायेगी।

सहायक ग्रेड–03 के पद के लिए :–

उक्त पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा का आयोजन किया जावेगा।

अ.आवेदित पद सहायक ग्रेड–03 पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 50 प्रतिशत अंक दिया जावेगा।

ब.केन्द्र/राज्य की शासकीय संस्थाओं द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र अधिकतम 10 अंक का होगा। प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक निर्धारित है।

स. शैक्षणिक एवं अनुभव के अंको के मेरिट के आधार पर 10 के अनुपात में आवेदकों को चयन प्रकिया के अगले चरण हेतु बुलाया जा सकेगा।

सहायक ग्रेड–03 के पद हेतु :–कौशल परीक्षा 40 अंको की होगी। प्रथम पेपर में उम्मीदवारों को 250 शब्दों के गद्यांश को 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर का टाईप करना होगा तथा द्वितीय पेपर में उम्मीदवारों को एम.एस.ऑफिस के एक्सल शीट में परीक्षा समिति द्वारा बनाये गये प्रश्नपत्र के निर्देशानुसार तैयार किया जाना होगा।

मेरिट सूची :– न्यूनतम योग्यता का 50 प्रतिशत, अनुभव का 10 अंक में से प्राप्त अंक एवं कौशल परीक्षा में कुल अंक 40 में से प्राप्त अंक के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारीः–

प्रत्येक आवेदक को चाहिए, कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण दी जाती, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। पदों हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होने चाहिए।

1. **अन्य आवश्यक सूचनाएं :–**

A. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सक्ती को होगा।

B. उपरोक्त पदों पर मेरिट सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।

C. चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति जन्मतिथि के आधार पर वरीयता की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

D. आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक–आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर से होना चाहिए।

E. प्रत्येक पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के परिक्षण उपरांत पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी तथा जिला–जांजगीर–चाम्पा (छ0ग0) के वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी। दावा आपत्ति निर्धारित तिथि के शाम 05:00 बजे तक प्राप्त की जावेगी, तत्पश्चात किसी भी दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगी।

F. परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं की व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा आगामी तिथि निर्धारित कर एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

G. प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रकिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

आवेदन करने हेतु निर्धारित कार्यकम :–

क्र.	सेवा में लिये जाने पद का नाम	आवेदन करने की तिथि	पात्र/अपात्र सूची प्रकाशन तिथि	दावा आपत्ति हेतु तिथि	मेरिट सूची प्रकाशन तिथि	कौशल परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन	अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन एवं नियुक्ति आदेश जारी करना
1	सहायक प्रोग्रामर	16.09.2023 से अंतिम तिथि 21.09.2023 सायं 05 बजे तक	23.09.2023	26.09.2023 सायं 05 बजे तक	28.09.2023	30.09.2023	03.10.2023

15/9/2023

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–सक्ती (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

(सहायक प्रोग्रामर/सहायक ग्रेड–03/भृत्य के पद पर नियुक्ति हेतु)

प्रति,

....

....

1. आवेदित पद का नाम ....
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) ....
   (अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) ....
3. लिंग (संकेतांक) पुरुष–1, महिला–2, अन्य–03 [ ]
4. पिता/पति का नाम ....
5. (अ) पत्र व्यवहार का पता (हिन्दी में) ....

   ....

   (ब) स्थायी पता ....

   ....

6. (अ) जन्मतिथि (अंकों में)

   (शब्दों में) ....

   (ब) दिनांक 01.01.2023 को आयु [ ] वर्ष [ ] माह [ ] दिन

7. क्या आवेदक छ0ग0 का मूल निवासी है? [ ]
   हां/नहीं(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
8. अ. क्या आवेदक छ0ग0 शासन द्वारा छ0ग0 के लिए घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? [ ]
   हां/नहीं(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
   ब. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें। [ ]
9. अ. क्या आवेदक विकलांग है ? हां/नहीं [ ]
   (यदि हां तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
   यदि हां तो

ब. विकलांगता का प्रकार व प्रतिशत ....

10. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? हां/नहीं [ ]

(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्य प्रति संलग्न करें)

11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीय क्रमांक व दिनांक ....

12. रोजगार कार्यालय का नाम ....

13. क्या आप विवाहित हैं? हां/नहीं [ ]

14. यदि विवाहित हैं, तो विवाह की तिथि [ ]

15. जीवित बच्चों की संख्या [ ]

16. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक

17. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हां/नहीं [ ]
(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

18. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

1. 4.
2. 5.
3. 6.
7. 8.

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है, और यदि झूठे पाये जाते है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी।

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम व पूरा पता
मोबाईल नं. एवं ई–मेल